प्रेषक

निदेशक,
विकलांग कल्याण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

जिला विकलांग कल्याण अधिकारी,
बलरामपुर।

पत्र संख्याः-0911 /वि0क0/ योजना/ बजट आवंटन/लखनऊ दिनांकः 22 जून, 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के नेत्रहीन,मूक,बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु(जिला योजना)प्रथम छःमाह के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2011 -12 में उपर्युक्त योजनान्तर्गत प्रथम छः माह के लिए संलग्न परिशिष्ट में दिये गये आवंटन/फॉट के अनुसार रु0 1,08,000/-(रुपये एक लाख आठ हजार मात्र)की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2. स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुसंगत वित्तीय नियमों,आदेशों,निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानक/दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगें ।
4. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा।धनराशि को आहरित सकर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
5. विभिन्न अनुदानों के अंतगर्त/वितरित धनराशि क समक्ष किए गए व्यय के नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1195/दस-16/94,दिनांकः 6/6/1994 तथा शासनादेश संख्या-2337/दस-97,दिनांक 21.11.1997 द्वारा निगम निर्देशों का भी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक निदेशक विकलांग कल्याण को एवं निदेशक विकलांग कल्याण द्वारा प्रपत्र बी0 एम0-13 पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक प्रशासनिक अनुभाग के साथ साथ संबंधित व्यय नियंत्रण अनुभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना तथा उसके संबंध में कलैण्डर के संकलित प्रारूप का उल्लेख मुख्य सचिव के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 3318/दस -22-98,दिनांक 2888-7-1998 में किया गया है।
7. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-05- नेत्रहीन,मूकबधिर तथा शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना)-20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।
8. उपरोक्त आवंटन निदेशालय की अनुदान पजिंका के पृष्ठ सं0 46 पर अकिंत है

भवदीय,

(आर0एन0 उपाध्याय)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार

प्रतिलिपिः- **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1. महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी-प्रथम/आडिट-प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी,बलरामपुर,उ0प्र0।
3. मण्डलायुक्त,देवीपाटन मण्डल,गोंडा/जिलाधिकारी,बलरामपुर,उ0प्र0।
4. निदेशक,विकलांग कल्याण,उ0प्र0,लखनऊ।
5. वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक)अनु0-1
6. राज्य योजना आयोग-1/नियोजन अनु0-3
7. गार्ड फाइल।

(आर0एन0 उपाध्याय)
निदेशक

वित्तीय वर्ष 2011-12

विकलांग भरण पोषण अनुदान (आयोजनागत-टी0एस0पी0)

क्रमांक	जनपद का नाम	आवंटन (रू0 हजार में)	भौतिक लक्ष्य (संख्या में)
1	2	3	4
1	बलरामपुर	108	90
	कुल योग :-	**108**	**90**

(रूपये एक लाख आठ हजार मात्र)

(आर0एन0 उपाध्याय)
निदेशक

(बी0 सी0 श्रीवास्तव)
उप निदेशक, विकलांग कल्याण